कुलसचिव,

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–221002
दिनांकः– 30 जुलाई, 2011

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक– 06.07.2011 के बिन्दु संख्या–08में लिया गया निर्णय

बिन्दु सं0(08):–विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के एसोसिएशन सम्बन्धी बायलाज(नियमावली) जो सम्बद्धता विभाग से प्राप्त है, के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः– परिषद् ने विचार–विमर्श के अनन्तर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के एसोसिएशन सम्बन्धी बायलाज(नियमावली) को संशोधन सहित अधोलिखित रूप में स्वीकार किया–

नियमावली
स्ववित्तपोषित महाविद्यालय प्रबन्धन एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

1- संस्था का नाम – **स्ववित्तपोषित महाविद्यालय प्रबन्धन एसोसिएशन**

2- संस्था का पता – सी–27/122, जगतगंज, वाराणसी–221002 (उ0प्र0)

3- संस्था का कार्यक्षेत्र – महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी परिक्षेत्र।

4- संस्था का उद्देश्य

(1) स्ववित्तपोषी उच्च शिक्षा योजना के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना।

(2) शासन/विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों, आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।

(3) सदस्य महाविद्यालयों की समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करना, प्रयत्न करना।

(4) गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने में सामाजिक/ स्वयंसेवी संगठनों/व्यक्तियों/व्यक्ति समूहों को प्रेरित करना।

(5) सदस्य महाविद्यालयों के संचालन में प्रबन्धन शासन/ न्यायालय द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों/कर्तव्यों के अनुसार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अन्तर्गत सुविधा व सहायता प्रदान करना।

(6) एतदर्थ वह सभी कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों।

5- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग –

(अ) संस्थापक सदस्य

(ब) साधारण सदस्य

२८

संस्थापक सदस्य – स्थापना के समय स्मृति–पत्र पर हस्ताक्षर

करने वाले संस्थापक सदस्य होंगे तथा वे आजीवन सदस्य रहेंगे।

साधारण सदस्य व सदस्यता शुल्क – महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालय संचालित करने वाला संचालन के लिए प्रयत्नशील प्रबन्धन रू.1100/– सदस्यता शुल्क जमा कर सदस्य बन सकता है।

6- सदस्यता की समाप्ति –

(1) मृत्यु हो जाने पर ;
(2) पागल या दिवालिया घोषित होने पर ;
(3) संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर ;
(4) अविश्वास प्रस्ताव अथवा त्याग–पत्र प्राप्त होने पर ;
(5) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ;
(6) नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ;

7- संस्था के अंग – (अ) साधारण सभा
(ब) कार्यकारी समिति

8- साधारण सभा

(क) गठन – संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायगा।

(ख) बैठकें – साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार तथा यथावश्यकता किसी भी समय आहूत की जा सकेगी।

(ग) सूचनाविधि – साधारणतया 15 दिन, विशेषतया 3 दिन सूचनावधि होगी।

(घ) गणपूर्ति – एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायगी।

(ड.) साधारण सभा के कर्तव्य –
(1) आय–व्यय पारित करना।
(2) कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत विशेष प्रकरणों पर निर्णय करना।
(3) संस्था की योजना व कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
(4) कार्यकारी समिति का निर्वाचन करना। किन्तु इसमें कुलपति द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की देख–रेख में चुना होगा।
(5) संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन करना।

9- कार्यकारी समिति

(क) गठन – निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे –

(1) अध्यक्ष – 1
(2) उपाध्यक्ष – 2
(3) महामंत्री – 1
(4) संगठन मंत्री – 1
(5) मंत्री – 6 (प्रत्येक जनपद से एक)
(6) सदस्य – प्रत्येक जनपद में संचालित महाविद्यालयों का 5% कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित किये जायेंगे। सदस्यों की संख्या–09 होगी।
(7) कोषाध्यक्ष – 1
(8) कार्यालय मंत्री – 1

संगठन मंत्री को छोड़कर उपर्युक्त पदाधिकारी साधारण सभा द्वारा

चुने जायेंगे। मंत्री प्रत्येक जनपद से एक तथा कार्यालय मंत्री वाराणसी नगर का चुना जाना अनिवार्य रहेगा। संगठन मंत्री पद पर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अथवा आम सहमति से किसी योग्य व समर्पित व्यक्ति को मनोनीत किया जायगा। यह पद चुनाव से परे होगा।

(ख) बैठकें – कार्यकारी समिति की बैठक वर्ष में 3 बार अवश्य होगी। यथावश्यकता 3 दिन की नोटिस पर कभी भी बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि – साधारणतया 7 दिन, विशेषतया 3 दिन। पत्र, फोन या दूरभाष संदेश (एस0एम0एस0) से सूचना की जा सकेगी।

(घ) गणपूर्ति – एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी।

(ड.) रिक्त स्थानों की पूर्ति – यथास्थिति रिक्त स्थान की पूर्ति कार्यकारी समिति की आम सहमति से की जायेगी।

(च) कार्यकारी समिति के कर्तव्य व अधिकार –

1– आय–व्यय का निर्धारण करना।
2– संस्था के सुचारू संचालन के लिए समितियों/ उपसमितियों का गठन करना या उनके कार्य क्षेत्र का निश्चय करना।
3– दान, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना।
4– संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति/विमुक्ति करना।
5– संस्था की चल/अचल सम्पत्ति का अर्जन व व्यवस्था करना।
6– संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करना।
7– कार्यकाल – तीन वर्ष

10- कर्मचारी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार/कर्तव्य –

अध्यक्ष : संस्था के मुख्य मार्ग–दर्शक का दायित्व निर्वहन करते हुए सभी नियमों/उपनियमों, निर्णयों पर गम्भीर चिन्तन करते हुए संस्था के हित के लिए अपनी सहमति प्रदान करना। संस्था के निर्णय अध्यक्ष की सहमति के अधीन रहेंगे तथा कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य रहेंगे।

उपाध्यक्ष : कार्यकारी समिति/अध्यक्ष के निर्देशानुसार उपाध्यक्षगण कार्य करेंगे।

महामंत्री : संस्था के सभी निर्णय महामंत्री के माध्यम से क्रियान्वयन किए जायेंगे। विशेष आकस्मिक स्थितियों में कार्यकारी समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में महामंत्री निर्णय ले सकेंगे जिस पर अध्यक्ष/संगठन मंत्री की सहमति आवश्यक होगी।

संगठन मंत्री : कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत संगठन मंत्री संगठन को सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी बनाने के लिए प्रयत्न करेगा तथा संस्था में सर्वानुमति से निर्णय लेने एवं उसे कार्यान्वित करने के लिए अध्यक्ष का सहयोगी होगा। संगठन मंत्री विवादों से परे होकर सदस्य महाविद्यालयों को राष्ट्रीय हितों तथा समाज सेवा के लिए समर्पण भाव जागृत करने के लिए क्रियाशील रहेगा तथा निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन में पदाधिकारियों को सहयोग करेगा। वह समान उद्देश्य वाली संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए उनको

अपने संगठन से सम्बद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।

मंत्री : संस्था के निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए तथा कार्यकारी समिति के निर्णय के अनुसार सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

कोषाध्यक्ष : अध्यक्ष के साथ कोष का संचालन करेंगे तथा आय–व्यय का विवरण तैयार करेंगे।

कार्यालय मंत्री : अभिलेखों के संरक्षण तथा अध्यक्ष/महामंत्री के निर्णयों को सदस्यों के बीच प्रेम तथा बैठकों की व्यवस्था तथा कार्यालय के संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

11- संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया –

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से नियमों/विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जायगा।

12- संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर रखा जायगा। खाते का संचालन अध्यक्ष तथा महामंत्री/ कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायगा। विशेष परिस्थितियों में कार्यकारी समिति किसी को कोष के संचावलन के लिए अधिकृत कर सकती है।

13- आय–व्यय का लेखा परीक्षण : वित्तीय वर्ष के अन्त में संस्था के आय–व्यय का आडिट कराया जायगा। आडिटेड स्टेटमेंट साधारण सभा के समक्ष रखा जायगा।

14- अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व : संस्था से सम्बन्धित अदालती कार्यवाही में संस्था का पक्ष महामंत्री अथवा कार्यालय मंत्री द्वारा रखा जायगा।

15- संस्था के अभिलेख : संस्था के अभिलेख कार्यालय मंत्री के संरक्षण में रखे जायेंगे।

16- संस्था का विघटन : सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था का विघटन होगा।

(साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव

पत्रांकः– कु०स०–समिति/208 /कार्य परि०/11 तद् दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 मा0 कुलपति जी– सूचनार्थ।
2 प्रबन्धक– समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, बलिया,चन्दौली,सोनभद्र,संत रविदास नगर, मिर्जापुर एवं वाराणसी।
3 सहायक कुलसचिव– सम्बद्धता विभाग।
4 सहायक कुलसचिव– सामान्य प्रशासन।
5 सम्बन्धित पत्रावली।

श्री विनोद कुमार, प्रभारी संगणक केन्द्र, विश्वविद्यालय कृपया उपर्युक्त निर्णय को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें
कुलसचिव 30/7/11

30.7.11
कुलसचिव